न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./31/2021

1. श्रीमति लाड़ देवी पत्नी रामधन जाति गुर्जर निवासी नागोला तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भाला पत्नी रायमल जाति गुर्जर निवासी नागोला तहसील भिनाय अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अप्रार्थी– धर्मवीर बामणिया
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 13.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 683 में दर्ज ख0न. 3459/708 रकबा 0.20 और ख.न. 751 रकबा 0.20 कुल किता 02 कुल रकबा 0.40 है0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 01 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर अप्रार्थीगण सं0 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाव प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम नागोला का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि [illegible] गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी [illegible] होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

Scanned with CamScanner

17/9/7

नागोला के खाता सं0 683 में दर्ज ख0न. 3459/708 रकबा 0.20 और ख.न. 751 रकबा 0.20 कुल किता 02 कुल रकबा 0.40 हैं0 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक नागोला को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(कविता राणावत)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner